न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 123/2018
आर.सी.एम.एस. नम्बर :: 2018/0056

प्रार्थी :— सरकार जरिये तहसीलदार सोजत

बनाम

अप्रार्थिया :— सोहनलाल पुत्र मिश्रा जाति कारीगर निवासी सरदारपुरा तहसील सोजत, जिला पाली (राज.)

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—
1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार

—:: आदेश ::—

दिनांक : 29/8/2018

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) सोजत द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरूद्ध अप्रार्थी अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम सरदारपुरा, पटवार हल्का मण्डला तहसील सोजत के खसरा नम्बर 59 किस्म गै.मु. तालाब में से खसरा नम्बर 188/2/1 रकबा 0.10 है. की किस्म नियम विरूद्ध परिवर्तन कर किए गए नियमन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने हेतु सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम सरदारपुरा, पटवार हल्का मण्डला तहसील सोजत के खसरा नम्बर 59 किस्म गै.मु.तालाब में से खसरा नम्बर 188/2/1 रकबा 0.10 है. की किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थी के हक में तहसीलदार सोजत ने जरिये आदेश कमांक/राजस्व/86/658 दिनांक 11.06.1986 के द्वारा बाडा नियमन किया गया। जिसकी पालना में अप्रार्थी को जरिये नामान्तरकरण संख्या 102 दिनांक 12.12.1986 के खातेदार दर्ज किया गया। उक्त नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत गै.मु. तालाब प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से नियमन नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार द्वारा किया गया उक्त नियमन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के नियमन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 102 दिनांक 12.12.1986 को निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन तालाब दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम सरदारपुरा, पटवार हल्का मण्डला तहसील सोजत के खसरा नम्बर 59 किस्म गै.मु.तालाब में से खसरा नम्बर 188/2/1 रकबा 0.10 है. की किस्म परिवर्तन कर अप्रार्थी के हक में तहसीलदार सोजत ने जरिये आदेश क्रमांक/राजस्व/86/658 दिनांक 11.06.1986 के द्वारा बाडा नियमन किया गया। जिसकी पालना में अप्रार्थी को जरिये नामान्तरकरण संख्या 102 दिनांक 12.12.1986 के खातेदार दर्ज किया गया। हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकीन तालाब का हिस्सा थी, जिसे तहसीलदार सोजत द्वारा अप्रार्थी के हक में नियमन किया गया है तथा वर्तमान में उक्त भूमि पर मकान निर्मित है। लेकिन उक्त नियमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत गै.मु. तालाब प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से नियमन नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार द्वारा किया गया उक्त नियमन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के नियमन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 102 दिनांक 12.12.1986 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, सोजत द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी सोहनलाल पुत्र मिसरू कारीगर निवासी सरदारपुरा तहसील सोजत जिला पाली (राज.) के पक्ष में तहसीलदार सोजत द्वारा किया गया नियमन आदेश एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 102 दिनांक 12.12.1986 को निरस्त फरमाया जावे एवं जैर प्रार्थना पत्र आराजी को पुनः गै.मु. तालाब दर्ज कराने के आदेश फरमावें।

(भागीरथ बिश्नाई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली